# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 16 (सर्कुलर)2005/एफसीए/प्रमुवसं/पार्ट–6/ 158-30 दिनांकः 26.5.16

मुख्य वन संरक्षक
जयपुर/अजमेर/जोधपुर/भरतपुर/बीकानेर/
कोटा/उदयपुर/(वन्यजीव)जोधपुर/वन्यजीव, भरतपुर/
(वन्यजीव)उदयपुर/(वन्यजीव)जयपुर/वन्यजीव, कोटा ।
(वन्यजीव), सरिस्का मुख्यालय–अलवर।

विषयः–वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृत प्रकरणों की नियमित मोनिटरिंग बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकरणों में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी विधिवत (अंतिम) स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पालना सुनिश्चित कर नियमित मोनिटरिंग पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में नहीं भिजवायी जा रही है। जबकि अंतिम स्वीकृतियों की शर्तो में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इसका उल्लेख किया गया होता है तथा इस कार्यालय द्वारा भी लिखित में आपको समय–समय पर पाबन्द किया जाता रहा है। मुख्य वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक कार्यालय स्तर पर इस कार्य हेतु एक रजिस्टर भी संधारित किया जाना चाहिए जिसमें प्रकरणवार अलग–अलग पृष्ठ संधारित किये जाते हैं। इस रजिस्टर में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालना अंकित की जाती है। उक्त रजिस्टर नियमित रूप से संधारित नहीं हो रहे है, ऐसा इस कार्यालय की जानकारी में आया है।

अतः पाबन्द किया जाता है कि आप एवं आपके अधिनस्थ उप वन संरक्षक कार्यालयों में मोनिटरिंग एवं अनुपालना रजिस्टर उक्तानुसार वर्णित दिशा निर्देशों/शर्तो अनुसार संधारित किया जावें तथा आपके स्तर से प्रकरणवार त्रैमासिक मोनिटरिंग रिपोर्ट इस कार्यालय में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित किया जावें।

यहां यह स्मरण भी रहें, कि अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उच्च अधिकारी के भ्रमण के दौरान उक्त रजिस्टर का अवलोकन भी कराया जाना सुनिश्चित करें।

(विभागीय वेबसाइट Forest.rajasthan.gov.in - Departmentalwings - Forest Conservation - orders & circular पर उपलब्ध है)

भवदीय

(डॉ. एस. एस. चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 16 (सर्कुलर)2005/एफसीए/प्रमुवसं/पार्ट–6/ दिनांकः

प्रतिलिपीः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, .................. (प्रभारी संभाग.................) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त रजिस्टर के संधारण करने का निरीक्षण समय–समय पर अपने भ्रमण के दौरान कर सूचित करावें।

(सी. एस. रत्नासामी)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी,एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

E/: Office documents/circular